न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष सं0—3, अम्बेडकरनगर।

जमानत आवेदन सं0—652/2026

UPAN010045082026

विशाल विश्वकर्मा आयु लगभग 25 साल पुत्र राम सुरेश विश्वकर्मा, निवासी ग्राम—चितईपट्टी, थाना—कटका,जनपद—अम्बेडकरनगर। .... **अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार। ....**अभियोजक।**

मुकदमा अपराध संख्या—136/2026
धारा—281,125ए,125बी,105,324(4) बी0एन0एस0
थाना—जलालपुर,
जनपद—अम्बेडकर नगर।

03.06.2026

(1). हस्तगत **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल विश्वकर्मा** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या—136/2026 धारा—281, 125ए, 125बी, 105, 324(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना—जलालपुर, जनपद—अम्बेडकर नगर के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है।

(2). मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

(3). संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मायाराम पुत्र रामनिहोर ग्राम जैनापुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर का मूल निवासी है। घटना दिनांक 03.05.2026 को रात्रि करीब 11.30 बजे की है। वादी के दोनो लड़के आदित्य कुमार, छोटू जो निमन्त्रण से वापस घर को आ रहे थे जैसे ही दोनो जलालपुर अकबरपुर रोड पर ग्राम अशरफपुर भुआ भट्ठे के पास पहुंचे ही थे कि स्वीफ्ट डिजायर मोटर कार वाहन सं0 UP50BB7393 के चालक ने अपने वाहन को तीव्र गति से चलाते हुये एक अन्य बुलेट मोटर साइकिल वाहन सं0 UP50BB7393 के चालक को भीषण टक्कर मार दिया, मौके पर मौजूद कई लोगो ने चार पहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया परन्तु वाहन चालक जानबूझ कर अपने आपको बचाते हुये उपस्थित कई लोगो पर वाहन चढाते हुये उन्हे रौदते हुये आगे निकल गया। उक्त वाहन के भीषण टक्कर व रौदने से वादी के दोनो पुत्र आदित्य कुमार, छोटू समेत कई लोगो को गम्भीर चोटे आयी जिन्हे इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र जलालपुर भेजा गया जहाँ पर डाक्टर ने आदिय कुमार सहित कुल 06 लोगो को मृत घोषित कर दिया तथा अन्य 02 लोग छोटू, राजू गुप्ता को बेहतर इलाज के लिये जिला अस्पताल भेजा गया जहाँ पर इलाज के दौरान इन दोनो लोगो की भी मृत्यु हो गयी। दुर्घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी होने के बाबजूद स्वीफ्ट वाहन के चालक द्वारा जानबूझ कर तीव्र गति से वाहन को चलाकर लाया गया। चालक द्वारा कारित कृत्य से कुल 08 व्यक्तियो की असामयिक मृत्यु हो गयी जबकि वाहन

Digitally signed by CHINTA RAM
Date: 2026.06.03 17:27:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चालक को इस बात का ज्ञान था कि उसके इस कृत्य से होने वाली दुर्घटना मे शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु सम्भाव्य है मोटर साइकिल वाहन भी क्षति ग्रस्त हो गयी तथा अभियुक्त चालक वाहन छोडकर फरार हो गया है। पुलिस द्वारा मृतको के शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतको का विवरण 1. लालचन्द्र पुत्र फेकूराम निवासीग्राम पट्टीमुइयन थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2. इन्देश कुमार पुत्र स्व० आत्माराम निवासी कल्याणपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर 3. साहिल कुमार पुत्र सालिकराम निवासी कल्याणपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर 4. आदित्य कुमार पुत्र मायाराम निवासी ग्राम जैनापुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर 5. छोटू पुत्र मायाराम निवासी ग्राम जैनापुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर 6. राजू गुप्ता पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर 7. उत्तम कुमार पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम सेमरा रफीगंज थाना कटका जनपद अम्बेडकरनगर 8. कैफी पुत्र हसन मोहसिन निवासी लोरपुर ताजन थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (बुलेट मोटर साइकिल सवार)। उपर्युक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर थाना–जलालपुर पर अपराध पंजीकृत किया गया।

(4). अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन में वर्णित अभिकथनों के समर्थन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है उसे घटना की गम्भीरता एंव जन दबाव के कारण गम्भीर धाराओं में मिथ्या फसाया गया है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है प्रार्थी स्थाई निवासी है तथा उसके फरार होने अथवा साक्ष्य से छेडछाड की कोई सम्भावना नहीं है। वाहन पुलिस अभिरक्षा में लिया जा चुका है पोस्टमार्टम, पंचनामा एंव अन्य अवाश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है प्रार्थी की निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा आवश्यक नहीं है। अभियोजन का अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी एंव पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित है प्रार्थी द्वारा साक्ष्य से छेडछाड अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोई सम्भवना नहीं है। मुकदने का शीघ्र निस्तारण की कोई सम्भावना नहीं है प्रार्थी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना दंडपूर्व सजा के समान होगी। प्रार्थी माननीय न्यायालय के द्वारा लगाई जाने वाली जमानत की शर्तों का पालन करेगा और न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होता रहेगा। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र दिनॉक 13/05/2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्टेट अम्बेडकर नगर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार जमानत नियम है तथा जेल अपवाद और विचारण लंम्बित रहने की स्थिति में कारावास व्यक्तिगत स्वंतत्रता के विरूद्ध है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी विशाल विश्वकर्मा को अपराध सं० 136/2026 धारा 281,105,125ए,125बी,324(4), बी०एन०एस० थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर में न्यायहित में नियमित जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जावे।

(5). अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता .(दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त विशाल विश्वकर्मा द्वारा स्वीफ्ट डिजायर मोटर कार

-

को तीव्र गति से चलाते हुए बुलेट मोटर साइकिल में टक्कर मारा गया और मौके पर मौजूद लोगों द्वारा रोकने का प्रयास करने पर जान बूझकर उपस्थित लोगों पर वाहन चढ़ाते हुए वादी के पुत्र आदित्य सहित 08 व्यक्तियों का आपराधिक मानव वध कारित किया गया है। अपराध गम्भीर है। अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

(6). सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध स्वीफ्ट डिजायर मोटर कार को तीव्र गति से चलाते हुए बुलेट मोटर साइकिल में टक्कर मारने और मौके पर मौजूद लोगों द्वारा रोकने का प्रयास किये जाने पर जान बूझकर उपस्थित लोगों पर वाहन चढ़ाते हुए वादी के पुत्र आदित्य सहित 08 व्यक्तियों का आपराधिक मानव वध कारित करने का अभियोग लगाया गया है। उक्त घटना में 06 लोगों की मृत्यु घटना स्थल पर हो गयी और 02 लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान अस्पताल में हुयी। कारित घटना की प्रकृति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वाहन चालक को इस बात का ज्ञान रहा होगा कि उसके इस कृत्य से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त विशाल विश्वकर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल विश्वकर्मा** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–136/2026 अन्तर्गत धारा–281, 125ए, 125बी, 105, 324(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(चिन्ताराम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड–1767

दिनांक–03.06.2026